प्रेषक,

संख्या: 6/277/12-5-2015- 38/2015

मंजूलता सिंह ,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, कृषि भवन,
लखनऊ ।

कृषि अनुभाग-5 : लखनऊ : दिनांक 08 अप्रैल , 2015

विषय: वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-11 के आयोजनेत्तर पक्ष में रहमानखेड़ा राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, लखनऊ को व्यय वहन करने हेतु आय-व्ययक प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-बी.ए.(1)02/वित्तीय स्वीकृति 2015-16, दिनांक 01 अप्रैल, 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिये अनुदान संख्या-11 के आयोजनेत्तर पक्ष में रहमानखेड़ा राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, लखनऊ को आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 41304 हजार के सापेक्ष व्यय को वहन करने हेतु निम्नानुसार धनराशि रू0-36651 हजार मात्र की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

(धनराशि हजार रूपये में)

लेखाशीर्षक	प्राविधान 2015-16	स्वीकृति हेतु प्रस्तावित धनराशि
2401- फसल कृषि कर्म-आयोजनेत्तर		
109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण		

http://sansanadesh.up.nic.in

04-रहमान खेड़ा राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान		
20-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन)	9306	4653
31-सहायता अनुदान सामान्य (वेतन)	31998	31998
योग-	41304	36651

(रूपये तीन करोड़ छाछठ लाख इक्यावन हजार मात्र)

2- उक्त अनुदान की धनराशि पर अनुदान नियमावली के समस्त नियम लागू होंगे तथा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के अध्याय 16ए के नियम इस अनुदान पर लागू होंगे तथा इस सबंध में वित्त (लेखा) अनुदान-1 द्वारा निर्गत राजाज्ञा संख्या-1238/10-15(1)/63, दिनांक 17.01.79, में उल्लिखित निर्देशों तथा शासनादेश संख्या-ए-2364/दस-15(1)/63, दिनांक 17.01.79 में अनुलग्नित नियमावली भी परिपालन किया जायेगा ।

3- उक्त अनुदान की धनराशि का देयक राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, रहमानखेडा, लखनऊ द्वारा बनाया जायेगा । इस देयक पर संयुक्त कृषि निदेशक, लखनऊ मण्डल द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित और मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ द्वारा भुगतान किया जायेगा । निदेशक, राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, रहमानखेड़ा, लखनऊ अनुदान की धनराशि का आहरण करने के उपरान्त कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश को सूचित करेंगे ।

4- उक्त जारी स्वीकृति के सापेक्ष एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाये बल्कि आवश्यकतानुसार धनराशि को कोषागार से आहरण फेंजिग के आधार पर सुनिश्चित की जाये । जहॉ तक संभव हो व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष के लिये प्रतिमाह समान रूप से की जाये ।

5- उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक-2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनेत्तर-109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण -04-रहमानखेड़ा राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान-

http://shasanadesh.up.nic.in

20-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन)-31-सहायता अनुदान सामान्य (वेतन) के नामे डाला जायेगा ।

6- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30-03-2015 में प्रतिनिधानित अधिकरों के अधीन जारी किये जा रहे है ।

भवदीया,

(मंजू लता सिंह)
अनु सचिव ।

संख्या- (1)/12-5-2015- /2015 , तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/आडिट प्रथम, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद ।
2- निदेशक, राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, रहमानखेडा , लखनऊ ।
3- निदेशक, सम्वर्ती सम्परीक्षा स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन , लखनऊ ।
5- वित्त नियंत्रक , कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
6- वित्त (व्यय -नियंत्रक) अनुभाग-1/वित्त (वित्त-आय) अनुभाग-1
7- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश , जवाहर भवन, लखनऊ ।
8- अनुभाग अधिकारी ,कृषि अनुभाग-3 ।
9- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(मंजू लता सिंह)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in